राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736

क्रमांक F4( ) PI/CCE/2021/365 दिनांक 15/9/21

सचिव/अध्यक्ष
समस्त निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषय :– निजी संस्था शाखा में निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के संपर्क करने हेतु व्यवस्था बनाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

निजी संस्था शाखा में निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के आवक-जावक सुबह 9.30 से ही प्रारम्भ हो जाती है जिससे समस्त अधिकारियों का समय अनावश्यक ही व्यतीत हो जाता है तथा संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा पत्रावलियों के परीक्षण का कार्य का समय भी प्रभावित होता है। इसलिए निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मिलने के लिए **केवल संयुक्त निदेशक कक्ष में अपरान्ह 3.00 बजे से 4.00 बजे का समय** निर्देशानुसार निर्धारित किया जाता है।

साथ ही यह भी देखने में आया है कि संस्था के सन्दर्भ में कोई भी व्यक्ति स्वयं को संस्था के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर जानकारी हेतु शाखा के कार्मिकों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं। जिससे शाखा में तनाव उत्पन्न होता है तथा कार्य में बाधा एवं समय जाया होता है। अतः शाखा में कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केवल संस्था द्वारा प्रमाणित प्रतिनिधि जो कि **संस्था के लेटर हेड पर सचिव/अध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित पत्र एवं परिचयपत्र के** साथ उपस्थित होगा उसे ही आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार आपका सहयोग अपेक्षित है जिससे संस्था की जानकारी केवल आपकी संस्था के वास्तविक प्रतिनिधि को ही दिया जाना सुनिश्चित किया जा सके एवं शाखा में समयबद्ध तरीके से कार्य संपन्न किया जा सके।

(डॉ अल्पना व्यास)
संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं)

प्रतिलिपि

1. वेब प्रभारी को आकाशि वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं)